Tendering of false affidavit before Delhi High Court by NCCF officers

492. SHRI VIRENDRA VERMA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether NCCF Management had filed an affidavit on 25-5-1988 in Delhi High Court pertaining to C.W. 584 of 1988 declaring that there was no enquiry pending against the Assistant Manager whose suspension has been revoked on 17-5-1988;

(b) whether on the basis of this Affidavit, Delhi High Court passes strictures against NCCF and decided the case with costs against NCCF with payment of back wages to Assistant Manager;

(c) whether an enquiry against the said Assistant Manager was still going on in consultation with Central Vigilance Commission as a result of which he has been awarded a penalty of withholding his two increments w.e.f. 29-12-1989 for his involvement in Black-marketing supplies of 1,000 bales of Controlled cloth of Sikkim State in Delhi; and

(d) if so, what action Government have taken against NCCF officers for filing a false Affidavit in the Court thereby showing undue favour to the involved Assistant Manager and thus inviting strictures of the Court against NCCF?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI NATHU RAM MIRDHA): (a) No, Sir. The affidavit filed by NCCF on 25-5-1988 did not declare that no enquiry was pending against the said Assistant Manager. In fact the affidavit clearly mentioned that the Competent Authority had taken decision to initiate appropriate proceedings against the Petitioners.

(b) and (c) Hon'ble High Court awarded payment of wages to Petitioners for suspension period with Rs. 2,000/- as cost by the Order. There were no strictures passed against NCCF. The Assistant Manager has since been awarded minor penalty on account of procedural lapses on his part in this transaction.

(d) Does not arise in view of (a) above.

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

493. डा. अबरार अहमद खान: क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 1989 में मूल्य सूचकांक क्या था तथा इस समय मूल्य सूचकांक क्या है ; पिछले तीन महीनों के दौरान किन-किन खाद्य वस्तुओं के थोक और फुटकर भाव बढ़े हैं अथवा घटे हैं और बढ़ोत्तरी तथा गिरावट की प्रमात्रा कितनी रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : नवम्बर, 1989 तथा फरवरी, 1990 में चुनी हुई खाद्य वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों का ब्यौरा नीचे विवरण-I में दिया गया है।

नवम्बर, 1989 की तुलना में फरवरी, 1990 के दौरान चुनी हुई वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों तथा औसत खुदरा मूल्यों में आए उतार-चढ़ाव का प्रतिशत नीचे विवरण-II में दिया गया है

विवरण-I

नवम्बर, 1989 तथा फरवरी, 1990 में चुनी हुई खाद्य वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक

वस्तु	नवम्बर, 89	फरवरी, 90
चावल	170.7	163.2
गेहूं	151.8	145.1
ज्वार	142.6	130.5
बाजरा	124.7	133.9
चना	213.4	183.7
अरहर	197.5	194.1
मूंग	201.8	200.5
मसूर	195.7	176.6
उड़द	256.0	241.9
आलू	174.0	116.7
प्याज	185.1	90.7
दूध	201.7	194.6
मछली	171.2	166.5
गोश्त	204.4	207.3
लाल मिर्च (सूखी)	152.7	123.3
चाय	298.7	309.5
आटा	175.2	172.7
चीनी	145.9	140.9
गुड़	167.1	143.0
नमक	154.3	158.2
वनस्पति	198.4	190.(
सरसों का तेल	141.1	142.5
नारियल का तेल	172.3	182.2
मूंगफली का तेल	166.7	174.(
जिंजली का तेल	164.7	204.(

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग मंत्रालय।

फरवरी, 1990 के लिए थोक मूल्य सूचकांक अनंतिम है।

विवरण-II

नवम्बर, 1989 की तुलना में फरवरी, 1990 के दौरान चुनी हुई वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों तथा औसत खुदरा मूल्यों में आए उतार-चढ़ाव का प्रतिशत

वस्तु	थोक मूल्य सूचकांक	औसत खुदरा मूल्य
चावल	−4.4	−2.1
गेहूं	−4.4	+0.3
ज्वार	−8.5	−10.2
बाजरा	+7.4	स्थिर
चना	−13.9	−10.6
अरहर	−1.7	−5.6
मूंग	−0.6	+4.2
मसूर	−9.8	−4.1
उड़द	−5.5	−5.3
आलू	−32.9	−16.3
प्याज	−51.0	−42.5
दूध	−3.5	−0.3
मछली	−2.7	+1.2
गोश्त	+1.4	+1.1
लाल मिर्च (सूखी)	−19.3	−11.6
चाय	+3.6	+2.4
आटा	−1.4	+1.1
चीनी	−3.4	−5.7
गुड़	−14.4	−14.3
नमक	+2.5	+9.6
वनस्पति	−4.2	−5.1
सरसों का तेल	+1.0	+0.9
नारियल का तेल	+5.7	−4.4
मूंगफली का तेल	+4.4	−4.7
जिंजली का तेल	+23.9	+4.2

स्रोत : (1) थोक मूल्य सूचकांक-आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग मंत्रालय।
(2) खुदरा मूल्य–अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय।